न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी–श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 67/19 ता0 रजु. 18-9-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 24-9-19

सरकार

बनाम

दरकिशन पुत्र श्रीराम जाति जाट नि० खेडली गाडरिया

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खेडली गाडरिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खेडली गाडरिया के खसरा न0 1758 रकवा 0.70 हैक्ट में से रकवा 0.20 हैक्ट किस्म भूमि आराबाद पर सम्वत 2076 में श्री दरकिशन पुत्र श्रीराम जाति जाट नि० खेडली गाडरिया तह0 बयाना ने चरी बोकर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित /अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिकमी द्वारा राजकीय आराबाद भूमि पर विधि विरूद्ध अतिकमण किया जाना साबित होता है अतः अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिकमित खसरा नम्बर 1758 रकवा 0.20 हैक्ट वाके ग्राम खेडली गाडरिया से बेदखल किया जाता है। लगान 3.20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 160/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पैनल्टी की मांग कायम
टी. आर. नं. 04 के पेज नं. 11
दिनांक 11/10/18 को वर्ष 2019-20 में
पैनल्टी रु. 160 फसल नीलामी
को की जा चुकी है।

तहसील रेवेन्यू लेखाकार
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)